

बिहार सरकार  
योजना एवं विकास विभाग  
(अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय)  
M-3, ऑफिसर्स फ्लैट, न्यू पुनाईचक, पटना-800023  
(Phone-0612/2280322, 2280887)  
(E-mail:-dir-stat-bih@nic.in)

आवश्यक सूचना

योजना एवं विकास विभाग के अंतर्गत अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय द्वारा बिहार के 38 जिलों एवं 12(बारह) अनुमंडलों के मुख्यालय में स्वचालित मौसम केन्द्र (Automatic Weather Station) अधिष्ठापित किया गया है। स्वचालित मौसम केन्द्रों से प्राप्त आंकड़ों के अनुश्रवण एवं विश्लेषण को जनहित में लाभकारी एवं उद्देश्यपूर्ण बनाने हेतु विशिष्टता एवं तकनीकी योग्यताप्राप्त मौसम वैज्ञानिक की आवश्यकता महसूस की गई है। एतदर्थ योजना एवं विकास विभाग के अंतर्गत अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय भारत मौसम विज्ञान केन्द्र एवं हाइड्रोलॉजी केन्द्र, पूणे के ग्रेड I/II के वैसे सेवानिवृत्त पदाधिकारी को स्वचालित मौसम केन्द्र के अनुश्रवण एवं तकनीकी परामर्शी के रूप में नियोजन हेतु कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग, बिहार, पटना के संकल्प संख्या-2804 दिनांक-29.03.2010 एवं सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना का संकल्प ज्ञापक-10000 दिनांक-10.07.2015 के प्रावधानों के आलोक में विहित प्रपत्र में आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं:-

क्र.सं.	पद का नाम	स्वीकृत पदों की संख्या	धारित योग्यता
1	मौसम वैज्ञानिक सहायक	01	(क) B.Sc भौतिकी एक विषय के साथ, कम्प्यूटर ऑपरेशन की बेसिक जानकारी/ सांख्यिकी आंकड़ों का विश्लेषण। (ख) मौसम विज्ञान/हाइड्रोलोजी में कम से कम 5 वर्ष का अनुभव केन्द्र सरकार/राज्य सरकार/ सरकार के अधीन ग्रुप की अराजपत्रित या उच्चपद।

1. संविदा पर चयन निम्नांकित शर्तों के अधीन किया जायेगा:-

- चयन हेतु उम्मीदवार की उम्र 31 मार्च, 2016 को 65 वर्ष से अधिक न हो।
- कुल चालीस हजार मासिक वेतन या नियोजित कर्मियों का मासिक मानदेय उन्हें प्राप्त होने वाले अंतिम वेतन + सेवानिवृत्त के समय अंतिम वेतन पर प्राप्त मँहगाई भत्ता के योगफल की राशि में से पेंशन की राशि + सेवानिवृत्ति के समय पेंशन की राशि पर प्राप्त मँहगाई भत्ता की राशि को घटाने के बाद जो प्राप्त राशि होगी, इनमें से जो कम हो मान्य होगी। मासिक मानदेय की यह राशि उक्त सेवानिवृत्त सरकारी सेवक के संविदा अवधि में कार्यरत रहने की तिथि तक स्थिर रहेगी। दोनों से जो कम हो।
- सेवानिवृत्त और संविदा नियोजन के बीच वेतन/पेंशन पुनरीक्षण हो जाने की स्थिति में भी निर्धारित मानदेय अपरिवर्तित रहेगा।

- नियोजन हेतु सरकारी सेवकों का चयन किये जाते समय उनके सरकारी कार्य हेतु स्वस्थ होने के संबंध में असैनिक शल्प चिकित्सक -सह- मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा निर्गत स्वास्थ्य प्रमाण पत्र आवश्यक होगा।
  - नियोजित कर्मियों के कार्यों की समीक्षा समय-समय पर की जायेगी और यदि कार्य संतोषजनक नहीं हो तो उनकी संविदा नियोजन रद्द की जा सकेगी।
  - नियोजन के निकट के वर्षों में सेवानिवृत्त कर्मियों को प्राथमिकता सूची में ऊपर रखा जायेगा।
  - निम्नांकित कर्मियों की सेवाएँ नहीं ली जायेगी।
    - (क) जिन पर कोई निगरानी का मामला चल रहा हो।
    - (ख) जिन पर कोई विभागीय कार्यवाही चल रही हो।
    - (ग) जिन पर कोई आरोप विचाराधीन हो।
    - (घ) जिन पर किसी भी तरह का कोई अपराधिक मामला दर्ज हो।
- (नोट:- क्रमांक (क) से (घ) तक के संबंध में शपथ-पत्र देना अनिवार्य होगा)
2. सेवानिवृत्त इच्छुक उम्मीदवार विहित प्रपत्र में दिनांक-30.08.2016 के अपराह्न 4.00 बजे तक अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय के कार्यालय में अपना आवेदन निबंधित/हाथों-हाथ समर्पित कर सकते हैं। निर्धारित तिथि के पश्चात् प्राप्त आवेदन पत्र पर विचार नहीं किया जायेगा।
  3. आवेदन के साथ पी.पी.ओ.(यदि निर्गत हो) अंतिम वेतन प्रमाण पत्र एवं सेवापुस्त की छायाप्रति संलग्न किया जाना होगा।
  4. प्राप्त आवेदनों की समीक्षा निदेशक, अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय, बिहार, पटना की अध्यक्षता में गठित चयन समिति द्वारा की जायेगी।

*Bw*  
28-07-16

*Prm*  
28/07/16  
(प्रमोद कुमार वर्मा)  
निदेशक

अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय,  
बिहार, पटना

## आवेदन पत्र

- (1) विज्ञापन संख्या:
- (2) पद का नाम, जिसके लिए आवेदन समर्पित किया जा रहा है:
- (3) उम्मीदवार का नाम (अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में):
- (4) उम्मीदवार के पिता/पति का नाम (अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में):
- (5) जन्म तिथि: (DD/MM/YYYY):
- (6) दिनांक-31.03.2016 को आयु (वर्ष में):
- (7) आरक्षण कोटि: (GEN/SC/ST/OBC/EBC/WBC) (GEN-सामान्य, SC-अनुसूचित जाति, ST-अनुसूचित जनजाति, OBC-अन्य पिछड़ा वर्ग, EBC-अति पिछड़ा वर्ग, WBC-पिछड़ा वर्ग की महिला) (आरक्षण का दावा करने वाले अभ्यर्थियों को जिला पदाधिकारी/अनुमंडल पदाधिकारी/ अंचलाधिकारी/प्रखंड विकास पदाधिकारी द्वारा जारी किया गया प्रमाण-पत्र की मूल प्रति योगदान करने के पूर्व भौतिक सत्यापन हेतु प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा)
- (8) वर्तमान पता: (अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में)
- (9) स्थायी पता: (अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में)
- (10) गृह जिला का नाम: (अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में)
- (11) गृह प्रखंड का नाम: (अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में)
- (12) शैक्षणिक योग्यता:

क्र. सं.	परीक्षा	बोर्ड/विश्वविद्यालय/ संस्थान का नाम	परीक्षा उत्तीर्ण होने का वर्ष	श्रेणी	प्राप्तांक का प्रतिशत
1	मैट्रिक				
2	इंटर				
3	स्नातक डिग्री				
4	स्नातकोत्तर डिग्री				
5	अन्य वांछित योग्यता				

13. सरकारी संस्थान/उपक्रम में कार्यों का अनुभव:

क्र.सं.	संस्थान/उपक्रम का नाम	अनुभव की अवधि

14. ई-मेल पता:

15. मोबाईल संख्या:

(नोट: अभ्यर्थियों को नियोजन के संबंध में कोई भी जानकारी उनके द्वारा दिए गए ई-मेल पता एवं मोबाईल पर एस.एम.एस. द्वारा ही दी जाएगी)

16. आवेदक का स्वअभिप्रमाणित पासपोर्ट साईज फोटोग्राफ: दो प्रति

17. प्रमाणित किया जाता है कि आवेदन में मेरे द्वारा अंकित की गयी जानकारी पूर्णतः सही है एवं मांग किये जाने पर इससे संबंधित साक्ष्य मेरे द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा। आवेदन पत्र गलत सूचना पाये जाने पर मेरी उम्मीदवारी स्वतः समाप्त हो जायेगी।

स्थान:

तिथि:

आवेदक का पूर्ण हस्ताक्षर